बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक–पि0व0 / बजट–30–05 / 2019– 57 पटना, दिनांक– 22/04/26

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में ''मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना'' के अन्तर्गत कुल राशि रू० 8,00,00,000 / – (रू० आठ करोड़) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में ''मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना'' के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–56 दिनांक–22/04/26 द्वारा कुल राशि रू० 8,00,00,000 / – (रू० आठ करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति के आलोक में रू० 8,00,00,000 / – (रू० आठ करोड़) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2– उक्त संपूर्ण आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम के तहत माँग सं०–11 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण –उपमुख्यशीर्ष –03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–34 02–प्रोत्साहन'' विपत्र कोड–11-2225-03-277-0101से विकलनीय होगा।

3–इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

4–इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98, बिहार कोषागार संहिता (संशोधित, दिनांक–07.02.2014), 2011 के नियम–273 में उल्लेखित Scholarship तथा Stipend की निकासी हेतु' "The list of Statement showing name of student, name and address of father, class, roll no, Scheme name, Period, rate of stipend and total amount shall be attached with all BTC-43 bills", तथा समय–समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार / विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों / मार्गदर्शिका में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। साथ ही, राशि का व्यय विषयांकित योजना हेतु विभाग द्वारा निर्गत संकल्प / मार्गदर्शिका में निहित निर्देश का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

5– उपर्युक्त योजना के संचालानार्थ निदेशालय के नामित पदाधिकारी से अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त कर राशि की निकासी उपर्युक्त कंडिका–3 में घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

6–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कंडिका–5 के आलोक में राशि की निकासी कर उक्त योजना से संबंधित विभाग के नाम से ICICI बैंक के दुजरा, पटना शाखा में खोले गये सरकारी बचत खाता संख्या–413501000272,IFSC Code-ICIC0004135 में राशि बैंक ड्राफ्ट / RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराएगें। तत्पश्चात् नामित पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी–सह–निदेशक से अनुमोदन प्राप्त कर अभ्यर्थियों के बैंक खाता में राशि का अंतरण DBT के माध्यम से करेंगे।

7–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा योजना के संचालनार्थ नामित पदाधिकारी क्रमशः आवंटित राशि के नियमानुसार निकासी एवं व्यय हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। उक्त आवंटित राशि के व्यय होने की संभावना नहीं होने पर अवशष राशि विभाग को निश्चित रूप से प्रत्यर्पित कर दिया जाय। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी नहीं की जाय।

8–निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना योजना के संचालनार्थ नामित पदाधिकारी से व्यय प्रतिवेदन प्राप्त कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार महालेखाकार कार्यालय को भेजेंगे।

9–प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त हैं।

10–प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11– सभी संबंधित पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जा रही है।

विश्वासभाजन

22/04/26

(अनिल कुमार ठाकुर),
सरकार के अपर सचिव।

P.T.O.

D/Kundan-2 Budget Section/allotment excel and budget fort /Sanction & Allotment

ज्ञापांक सं०–पि0व0 / बजट–30–05 / 2019– 57. पटना, दिनांक– 22/04/26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट भाखा) बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) उप सचिव (योजना एवं बजट) / उप निदेशक / विशेष कार्य पदाधिकारी / बजट प्रशाखा / लेखाशाखा, निदेशालय (दोहरी प्रति में) / डाटा एनालिस्ट, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित / आई0टी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/04/26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक सं०–पि0व0 / बजट–30–05 / 2019– 57 पटना, दिनांक– 22/04/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

22/04/26

सरकार के अपर सचिव।